



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 21941

SEIAA/2022

Date: 30/11/22

प्रति,

M/s Tata Steel Limited,
Head Manufacturing LR PC and Product Factory Manager,
Plot No. 158, 158A, Sector-III, Industrial Area,
Pithampur, Tehsil & Dist. Dhar, MP

विषय:-प्रकरण क्र. 8863/2021 M/s Tata Steel Limited, Head Manufacturing LR PC and Product Factory Manager, Plot No. 158, 158A, Sector-III, Industrial Area, Pithampur, Tehsil & Dist. Dhar, MP Prior Environment Clearance for Regularization of existing production facilities for production of Steel Wires (1,01400 TPA) at Plot No. 158 & 158A, Industrial Area, Pithampur, Dist. Dhar (MP).


प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 755वीं बैठक दिनांक 28.10.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 598वीं बैठक दिनांक 07.10.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

".....During presentation it was observed by the committee that in the online form-I on PARIVESH portal PP has applied for Steel Wires Quantity as - 1,01400 TPA and presenting the case for 1,80,000 TPA on the basis of CTE (for quantity as - 1,80,000 TPA) obtained from MPPCB. Committee deliberated on the issue and asked PP to submit revised application for 1,80,000 TPA for consideration of case for TOR and recommended that this case may be sent to SEIAA for onward necessary action"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 599वीं बैठक दिनांक 08.10.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Close किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये कि SEAC की अनुशंसा के अनुरूप प्रस्तावित वास्तविक मात्रा हेतु पुनः परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन करें। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार आपके प्रकरण को Close किया जाता है।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


पृ.क्र. 2195 /SEIAA/2022

दिनांक -

30/11/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला धार (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला धार (म.प्र.)
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र, विकास निगम (इंदौर), लि. फ्री प्रेस हाउस, प्रथम तल 3/54, प्रेस काम्पलेक्स, आगरा-मुंबई हाइवे, इंदौर (म.प्र.)
7. आई.ए. डिवीजन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
8. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
9. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

